न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

अपील सं.–02/2022

1. हनुमान
2. महेश

} जाति ब्राहमण निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।

बनाम

ग्राम पंचायत कलाखरीा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.) जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कलाखरी।

अपील विरूद नामान्तकरण स. 547 दिनांक 02–02–2021 ग्राम पंचायत कलाखरी

–:निर्णय:–

दिनांक :– 6/1/23

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम कलाखरी तहसील बुहाना में स्थित कृषि भूमि संवत् 2075–2078 के खाता सं0 2 के खसरा नम्बर 511 रकबा 0.45है0 ख0 न0 614/15 रकबा 0.68है0 ख0 न0 615/510 रकबा 0.01है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.14है0 के वादीगण व उनकी माता श्रीमति मनोहरी देवी का भाग प्रत्येक का 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड थे तथा रामप्यारी देवी पत्नी औमप्रकाश व अनिल कुमार पुत्र औमप्रकाश का भी प्रत्येक का भाग 1/8 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। खातेदार मनोहरी देवी जो वादीगण की मां थी जिनका देहान्त हो चुका है खातेदार मनोहरी देवी ने अपने जीवनकाल में ही अपनी ईच्छा से बिना किसी दाब–दबाव के वादीगण की सेवा से खुश होकर विवादित वाद वर्णित कृषि भूमि में दर्ज अपने हिस्से 1/4 भाग को दिनांक 07/01/2021 को वादीगण के पक्ष में हकत्याग तहरीर करवाकर श्रीमान उप–पंजीयक बुहाना के समक्ष उपस्थित होकर तस्दीक करवाया था तथा कब्जा वादीगण को दे दिया था। वादीगण तभी से विवादित वाद वर्णित कृषि भूमि में अपने भाग 3/4 हिस्से पर शान्तिपूर्वक रूप से काबिज काश्त है। वादीगण ने विवादित वाद वर्णित कृषि भूमि का नामान्तकरण वादीगण के पक्ष में पंजीकृत हकत्याग के मुताबिक तस्दीक कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने बाबत ग्राम पंचायत कलाखरी में पेश किया जिसे ग्राम पंचायत कलाखरी ने नामान्तकरण स. 547 दिनांक 02.02.2021 पर दर्ज कर प्रक्रियाधीन कर दिया तथा हल्का पटवारी कलाखरी ने हकत्याग के मुताबिक इन्तकाल दर्ज कर उचित आदेशार्थ भू–निरीक्षक के समक्ष पेश कर दिया तथा श्रीमान भू–निरीक्षक ने जांच कर मुताबिक रिकॉर्ड सही होना दर्ज कर अपनी रिपॉर्ट दिनांक [illegible] 2021 को अंकित कर इन्तकाल दर्ज करने बाबत ग्राम पंचायत कलाखरी के समक्ष पेश कर दिया [illegible] पंचायत कलाखरी ने बिना किसी विधिक बिन्दु के बिना कोई कारण [illegible] के वादीगण के पक्ष में इन्तकाल को दिनांक 23.02.2021 को अस्वीकृत (खारिज) [illegible] दिया जो कानूनी रूप से गलत होने से अपिलान्ट्स को यह अपील निम्न आधार पर पेश करनी आवश्यक हुई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.02.02 12:48:37 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

यह कि नामांतकरण सं0 547 / 02.02.2021 विधि अनुरूप किये गए पंजीकृत हकत्याग के आधार पर खातेदार मनोहरी देवी ने अपने जायन्दा पुत्रो अपिलान्ट्स के पक्ष में तहरीर करवाकर सक्षम अधिकारी श्रीमान उप–पंजीयक–बुहाना के समक्ष पेश होकर तस्दीक करवाया गया है जो कानूनी प्रक्रिया के तहत करवाया गया है इसिलए उक्त इन्तकाल ग्राम पंचायत कलाखरी ने खारिज कर कानूनी भूल की है।

यह कि अपील में वर्णित कृषि भूमि वाके ग्राम कलाखरी में स्थित कृषि भूमि खाता स0 2 के खसरा नम्बर 511 रकबा 0.45है0 ख0 न0 614 / 15 रकबा 0.68है0 ख0 न0 615 / 510 रकबा 0.01 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.14है0 में खातदेार श्रीमति मनोहरी देवी जो कि खातेदार अपिलान्ट्स की माता थी जिसने अपिलान्ट्स की सेवा से खुश होकर अपने हिस्से की कृषि भूमि का हकत्याग अपनी ईच्छा से निबा किसी दाब–दबाव के अपिलान्ट्स के पक्ष में तहरीर करवाकर सक्षम अधिकारी श्रीमान उप–पंजीयक बुहाना के समक्ष पेश होकर अपिलान्टस के पक्ष में तस्दीक करवाया है जो राजस्व नियमानुसार व विधिक प्रक्रिया के तहत शुल्क पेश कर तस्दीक करवाया गया है ग्राम पंचायत कलाखरी ने बिना उक्त कानूनी प्रक्रिया व तथ्यों पर गौर किये ही इन्तकाल स0 547 / 02.02.2021 को खारिज किया है जो विधि विरूद्ध किया गया है इसलिए ग्राम पंचायत कलाखरी द्वारा इन्तकाल खारिज का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। यह कि अपिलान्ट्स की ग्राम पंचायत कलाखरी के सरपंच से राजनैतिक रंजिश होने के कारण ग्राम पंचायत कलाखरी के सरपंच द्वारा अपिलान्टस को नुकसान पहुंचाने के आशय से बिना सही रूप से जांच किये ही हल्का पटवारी व भू–निरीक्षक की जांच रिपोर्ट को अनदेखा कर उनकी रिपोर्ट पर बिना गौर किये ही इंतकाल स0 547 / 02.02.20212 को निरस्त किया है इसलिये ग्राम पंचायत कलाखरी द्वारा इंतकाल खारिज का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

यह कि अपील में वर्णित कृषि भूमि में श्रीमति मनोहरी देवी ने राजस्व रिकॉर्ड में वर्णित अपने सम्पूर्ण हिस्से का हकत्याग अपिलान्ट्स के पक्ष में तहरीर तस्दीक करवाया गया है जो राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार व विधिक प्रक्रिया के अनुरूप शुल्क पेश कर करवाया गया है जिस पर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह नियमानुसार गलत है। ग्राम पंचायत कलाखरी ने बिना कोई कारण वर्णित किये ही अपिलान्ट्स के पक्ष में प्रक्रियाधिन इंतकाल स. 547 / 02.02.2021 को निरस्त / खारिज किया है जो कानूनी रूप से गलत किया है इसलिए ग्राम पंचायत कलाखरी का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

यह कि ग्राम पंचायत कलाखरी ने विधि अनुरूप तहरीर व तस्दीक किये गये हकत्याग के आधार पर अपिलान्ट्स के पक्ष में इन्तकाल पुर नही कर तथ्य व कानूनी भूल की है जिसकी जानकारी अपिलान्ट्स को प्रमाणित प्रतिलिपित दिनांक 08 / 10 / 2021 को प्राप्त होने पर नामान्तकरण के खारिज की जानकारी हुई इसलिए यह अपील पेश करनी आवश्यक हुई।

यह कि अपिलान्ट्स के पक्ष में किये गये विधिक प्रक्रिया व विधिक शुल्क पर हकत्याग के आधार पर ग्राम पंचायत कलाखरी ने इंतकाल पर नहीं कर खारिज कर देने की जानकारी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 08 / 10 / 2021 को प्राप्त होने पर हुई इसलिये अपील अन्दर मियाद सेवामें पेश है। यह कि नामान्तकरण स. 547 / 02.02.2021 में वर्णित कृषि भूमि वाके ग्राम कलाखरी तहसील बुहाना में स्थित है तथा ग्राम पंचायत कलाखरी तहसील बुहाना में स्थित जो माननीय न्यायालय श्रीमानजी की सीमा में स्थित है इसलिए अपील सुनवाई का अधिकार न्यायालय हाजा को ही है।

यह कि अपील निर्धारिक न्यायालय शुल्क पर श्री[illegible] सेवामें पेश है।

यह कि अपील के समर्थन में अ[illegible] है।

यह कि अपिलान्ट्स द्वारा नामा[illegible] 547 / 02[illegible] ग्राम पंचायत कलाखरी के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि अपील के साथ पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.02.02 12:48:37 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी ... जिला झुंझुनूं (राज.)

अतः अपिलान्ट्स क और से अपील पेश कर अर्ज है कि अपिलान्ट्स की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तकरण सं0 547 दिनांक 02.02.21 ग्राम पंचायत कलाखरी को निरस्त किया जाकर पुत्र श्रीमान तहसीलदार बुहाना को आदेश दिया जावे कि अपिलान्ट्स के पक्ष मे कानूनी प्रक्रिया के तहत सम्पूर्ण पंजीयन शुल्क भुगतान कर सक्षम अधिकारी श्रीमान उप–पंजीयक बुहाना द्वारा किये गए हकत्याग तस्दीक के आधार पर अपिलान्ट्स के हिस्से की कृषि भूमि को अपिलान्ट्स के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाया जावे तथा अपीलान्ट्स द्वारा अन्य अनुतोष जो न्यायालय हाजा उचित समझे अपिलान्ट्स को दिलवाया जाने की कृपा करें।

अपीलार्थीगण की ओर से साक्ष्य में दस्तावेज में नकल नामान्तरकरण संख्या 547, नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78, हक–त्याग पेश किए गए।

अपील दर्ज पंजिका कर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। सम्यक् तामिल हुई। सम्यक तामिल के बावजुद अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है। अपीलान्टगण की माता मनोहरी देवी का 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड था। मनोहरी देवी का देहान्त हो चुका हैं। खातेदार मनोहरी देवी ने अपने जीवनकाल में ही अपनी विवादित वाद वर्णित कृषि भूमि में दर्ज अपने हिस्से 1/4 भाग को दिनांक 07/01/2021 को वादीगण के पक्ष में हकत्याग करवा दिया गया। ग्राम पंचायत कलाखरी ने बिना कोई कारण वर्णित किये ही अपीलान्ट्स के पक्ष में प्रक्रियाधिन इंतकाल स. 547 दिनांक 02.02.2021 को निरस्त/खारिज किया है जो कानूनी रूप से गलत किया है इसलिए ग्राम पंचायत कलाखरी का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। जो दुरूस्ती योग्य है। अतः न्यायालय अपील अपीलान्टस स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश ::–

न्यायालय अपील अपीलान्टस स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः अपील अपीलान्टस् स्वीकार कर ग्राम कलाखरी का नामान्तरकरण सं. 547 निर्णय दिनांक 02–02–2021 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार बुहाना को निर्देशित किया जाता है कि विधिवत् सूनवाई की जाकर नियमानुसार नामान्तरकरण पुनः दर्ज करें।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनू (राज.)

निर्णय आज दिनांक 6|1|23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.02.02 12:48:37 IST
Reason: SelfAttested